कार्यालय कलेक्टर (जिला कौशल विकास प्राधिकरण) गरियाबंद, जिला – गरियाबंद (छ.ग.)

योजना

प्रस्तावना :– तेरहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2022 की समाप्ति तक राज्य की एक करोड़ 25 लाख कार्यशील जनशिक्ति को प्रमाणित दक्ष तकनीशियन (Certigied Skill Technician) के रूप में तैयार करने का लक्ष्य लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन (CSSDM) का गठन किया गया जिसे बाद में छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 17 सन् 2013) के तहत् छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार, अधिनियम, 2013 दिनांक 17 सितम्बर 2013 से लागू हो गया हैं। अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित कौशलों में पात्रता रखने वाले 14 वर्ष से 45 वर्ष के आयु के सभी युवाओं को अपनी अभिरूचि अनुसार कौशल प्राप्त करने का अधिकार दिया गया हैं। अधिनियम के अंतर्गत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला प्राधिकरण प्रावधानित है तथा इसका गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 01.10. 2013 (संलग्नक –3) द्वारा कर दिया गया है।

जिले में उपलब्ध संसाधनों सुनियोजित ढ़ंग से लाभ लेने के लिये मूलभूत अधो:संरचना के क्षेत्र मे जिले का काफी विकास हुआ, जिले में हुनरमंद लोगो की टीम तैयार करना हैं जो कि जिले एवं राज्य के विकास के साथ–साथ लोगों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने में मद्दगार साबित हो। जिले के हर गावं–गांव तक क्षेत्र, विशेष, सेक्टर विशेष के लिये रोजगार–स्वरोजगार मूलक कौशल विकास कार्यक्रम अभियान के रूप में चलाये जाने हैं।जिले में कौशल विकास के लिये राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं केन्द्र शासन की SDI (Skill Development Initiative) योजना के अंतर्गत विभिन्न सेक्टर्स के MES Courses में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उपलब्ध अधो: संरचना का अधिकतम उपयोग करने का लक्ष्य है, MES Courses मे सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले आवेदकों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त NCVT का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

योजना :– कौशल उन्नयन कार्यक्रम में मुख्यत: 2 योजना चलाई जा रही हैं जिसमे मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य शासन की मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं केन्द्र शासन कि SDI योजना। दोनो योजनाओं में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है योजनाये लगभग समान हैं। SDI योजना के अंतर्गत राज्य में सभी शासकीय, पात्रता रखने वाले मान्यता प्राप्त प्रायवेट संस्थानों में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का VTP के रूप में पंचीयन कर राज्य में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के दायरे का विस्तार करने हुए स्कूल, कॉलेजों, तकनीकी

संस्थाओं में पढने वाले विद्यार्थियों, स्कूल छोडने वाले बच्चों/उद्योग में कार्य करने वाले वर्कर्स, शासकीय कार्यालयों/निजी प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मियों, कृषि कार्य में संलग्न किसानों/मजदूरो आदि सभी के लिए कौशल विकास/उन्नयन कर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करना हैं। यही कार्य मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत भी किया जाता हैं।

आवेदन कैसे करें :– हितग्रहियो को योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन फार्म जमा करना होता हैं आवेदन के लिये हितग्रहियों को जिला कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण या नगर पंचायत , नगर निगम ,नगर पलिका जनपद पंचायत व जिला पंचायत में प्राप्त कर सकते हैं, हितग्रहि ऑन लाईन भी आवेदन कर सकते है उसके लिये http://cssda.cg.nic.in/ पर Website पर जाना होगा, आवेदन पत्र जमा करने की कोई अंतिम तिथी नही होती, वर्ष भर आवेदन कर सकते हैं।

गरियाबंद जिले मे योजना की शुरूवात वर्ष 2013–14 को हुई जिसमें मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना व केन्द्र शासन की SDI योजना में अब तक कुल 5530 लोगो को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदाय किया गया, जिसमें 1999 हितग्राहियों को प्रमाणिकृत के साथ 1433 हितग्रहियों को प्रमाण पत्र वितरण किया जा चुका है। कौशल उन्नयन कार्यक्रम के बारे में लोगो को जागरूक करने के लिये छत्तीगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री माननीय डॉ. रमन सिंह के द्वारा राज्य में कैरियर मेले के आयोजन हेतु निर्देशित किया गया, माह जनवरी–फरवरी 2014 में गरियाबंद जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में कैरियर मेले का आयोजन किया गया था।

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 18.07.2013 को मंत्रि–परिषद् द्वारा राज्य के सभी जिलों में लाईवलीहुड कॉलेज प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया, जो कि **राज्य की नवीन परियोजना** है। राज्य शासन द्वारा राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज को **'फ्लैगशिप कार्यक्रम'** के तहत संचालित किया जा रहा है। जिसके तहत् गरियाबंद जिले में लाईवलीहुड कॉलेज का शुभारंभ माननीया श्रीमती रमशीला साहू, मंत्री छ.ग. शासन के मुख्य आतिथ्य में दिनांक 02 नवम्बर 2014 को सम्पन्न हुआ। प्रारंभ में सिलाई के 2 बैचों में प्रशिक्षण कार्य किया गया लाईवलीहुड कॉलेज के माध्यम से सुरक्षा गार्ड के 151 हितग्रहियों को प्रशिक्षण दिया गया प्रशिक्षण पश्चात सभी को रोजगार उपलब्ध कराया गया। लोक सुराज अभियान 2015 के तहत् 16 मई 2015 को माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी के देवभोग आगमन पर उक्त हितग्रहियों को प्रमाण पत्र एव नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरीत किया गया हैं। नियोजित हितग्राही प्रकाश इन्डस्ट्रिज, श्री सीमेंट, सारडा एनर्जी रायपुर इत्यादि संस्थानों में SIS इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से

कार्यरत है। SIS इण्डिया लिमिटेड नई दिल्ली व राज्य शासन के मध्य MOU निष्पादित किया गया है, जिसके अंतर्गत गरियाबंद जिले में प्रतिवर्ष 3000 हितग्राहियों को सुरक्षा गार्ड का प्रशिक्षण प्रदाय किया जायेगा एवं प्रशिक्षण उपरांत उत्तीर्ण हितग्रहियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। वर्तमान में लाईवलीहुड कॉलेज मे कुल 45 हितग्रहियों को प्रशिक्षण प्रगतिपर हैं जिसमें कम्प्युटर हार्डवेयर सहायक, ड्राईवर कम मैकेनिक आदि में दिया जा रहा हैं।